

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक...5138.../छात्र/2021/

जबलपुर दिनांक 1-6-2021

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2174/छात्र/2019 जबलपुर दिनांक 30/03/2019 में अंशिक संशोधन करते हुये चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं संबंध चिकित्सालयों में कार्यरत/अध्ययनरत महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिरोध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के नियम 2013 के नियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु पुनरिक्षित आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है। आंतरिक परिवाद समिति निम्नलिखित होंगे:-

1. डॉ. कविता एन. सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्रीरोग विभाग -- पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. अर्जुन सक्सेना, डेसिगनेट प्राध्यापक, सर्जरी विभाग -- सदस्य
3. श्रीमति मिताली बैनर्जी, समाज सेवी -- सदस्य
4. डॉ. प्रियदर्शनी तिवारी, सह प्राध्यापक स्त्रीरोग विभाग/वार्डन पी.जी.हॉस्टल -- सदस्य
5. डॉ. आफताब खान, सह प्राध्यापक, मनोरोग विभाग -- सदस्य
6. श्रीमति अंजना श्रीवास्तव, नर्सिंग सिस्टर (कार्यकारी मेट्रन) -- सदस्य
7. श्रीमति सुषमा चौकसे, लेखापाल मेडिकल कालेज जबलपुर -- सदस्य

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 1-6-2021

पृ.क्रमांक...5138.../छात्र/2021/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
2. संचालक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेडिकल कालेज जबलपुर।
3. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सीलेन्सी इन पल्मोनरी मेडिसिन मेडिकल कालेज जबलपुर।
4. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. समिति के सदस्त सदस्यों की ओर।
6. अधिष्ठाता कार्यालय के समस्त शाखाओं की ओर।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर